न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 01 / 2018

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 मोहरसिंह पुत्र बनवारी।
2 नानची देवी पत्नी बनवारी।
3 बाबुलाल पुत्र रामनिवास।
4 शिवचन्द पुत्र जयनारायण।
5 रामस्वरूप पुत्र जयनारायण समस्त जाति अहीर निवासीगण मैणास तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 श्रीमती अणची देवी पत्नी हरिबक्स।
2 बिजेन्द्र पुत्र हरिबक्स।
3 राजेश पुत्र हरिबक्स समस्त जाति अहीर निवासीगण मैणास तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
4 मन्जू पुत्री हरिबक्स पत्नी रणवीर।
5 सन्जू पुत्री हरिबक्स पत्नी अजीत समस्त जाति अहीर निवासीगण लाखु तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।
6 हरचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण।
7 मदनलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण।
8 ओमप्रकाश पुत्र लक्ष्मीनारायण।

9 श्रीमती श्योकोरी पत्नी लक्ष्मीनारायण।

10 सत्यपाल पुत्र रामनिवास समस्त जाति अहीर निवासीगण मैणास तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955
अपील खिलाफ निर्णय बअदालत उपखण्ड
अधिकारी नवलगढ़ प्रार्थना पत्र उनवानी मोहर सिंह
बनाम हरीबक्स वगैरह प्रार्थना पत्र बाबत अ.धारा
251ए आर.टी.एक्ट 1955 मु.नं. 10/2015
निर्णय दिनांक 04.12.2017

उपस्थित

1. श्री विजयपाल अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री श्रीमती मीना अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 30.11.2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 10/2015 में पारित निर्णय दिनांक 04.12.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 173,174 में से अवस्थित पूर्व के रास्ते को 12 फिट चौड़ा करने का अनुतोष चाहा विचारण न्यायालय ने निकटतम दूरी का रास्ता नही मानकर प्रार्थी का आवेदन खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि तहसीलदार एवं पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 10.06.2016 व 17.01.2017 के अनुसार अपीलांट द्वारा चाहा गया रास्ता पूर्व से मौके पर मौजुद होना प्रमाणित है। विवादित भूमि चारों खेत एक ही पूर्वज के थे अपीलांट नया रास्ता नही मांग रहा है अपितु विद्यमान रास्ते को चौड़ा करने के लिये निवेदन कर रहा है। धारा 251ए में नवीन रास्ता चाहने पर निकटतम रास्ता दिया जाता है। लेकिन विद्यमान रास्ते को चोड़ा करवाने के लिए निकटतम रास्ता नही देखा जाता है। अपील स्वीकार कर तहसीलदार एवं पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 10.06.2016 व 17.01.2017 के मुताबिक विद्यमान रास्ते को चौड़ा करने के आदेश दिये जायें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि पगडण्डी विद्यमान होने का कथन मौखिक है साक्ष्य से साबित नही है विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक कमी नही है। अपील खारिज की जायें।

हमने पत्रावली का अवलोकन एंव विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न फर्द मौका रिपोर्ट तहसीलदार नवलगढ दिनांक 10.06.2016 एवं पटवारी हल्का,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

संरपच, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट 17.01.2017 के अनुसार अपीलांट द्वारा अपने आवेदन में खसरा नम्बर 173 व 177 में से रास्ता विद्यमान होना सही अंकित है विचारण न्यायालय में अपने न्यायालय में इन मौका रिपोर्ट पर कोई विवेचन किये बिना केवल मात्र चाहा गया रास्ता निकटतम से निकटतम की दूरी का नही होने के कारण आवेदन खारिज कर दिया है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अवस्थिति रास्ते को चौडा करवाने का विधिक प्रावधान है जिसमें निकटतम दूरी का सिद्वान्त लागु नही होता है क्योकि जब मौके पर पहले से रास्ता विद्यमान है तो नवीन रास्ता अंकन करने का कोई विधिक औचित्य नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलांट की भूमि खसरा नम्बर 178 में आवागमन के लिये अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 173 व 177 में से सीमा के सहारे–सहारे मौका रिपोर्ट दिनांक 15.12.2015 में ए.बी.सी.डी. लाल स्याही से अंकित रास्ते को 12 फिट चौडा रास्ता अंकन करने का आदेश दिया जाता है तदनुसार राजस्व रिकार्ड में राजकीय गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा इस आदेश की प्रति प्रस्तुत करने पर अनावेदकगण यदि बदले में भूमि चाहे तो अपीलांट की भूमि में से विधि अनुसार भूमि देने का आदेश पारित करें अथवा अनावेदकगण द्वारा डी.एल.सी. की दुगुनी कीमत चाहने पर तदनुसार आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

30/xi/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी, एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर